अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारीक वननिवासी
(वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६
व
नियम २००८

"गोंडी भाषा"

सदर स्वैर अनुवाद गोंडी भाषा बोलणा-या आदिवासींच्या सहाय्यतेसाठी प्रकाशित करण्यात येत आहे. अधिकृत अधिनियम व नियम शासनाद्वारे प्रकाशित इंग्रजी / हिंदी / मराठी राजपत्राप्रमाणे राहतील.

महाराष्ट्र शासन, आदिवासी विकास विभाग,
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे ४११ ००१ द्वारा प्रकाशित.
वेब साइट : http://trti.mah.nic.in

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खण्ड 3)
उप–खण्ड ( )

मा छपे तारीक इकतीस दिसम्बर 2007 मा छपेहरा

भारत सिरकार

अदवासी बूता मंत्रालय

नवा डिल्ली, इकतीस दिसम्बर दुई हजार सात

व्हा. आ. (अ) केन्दर सिरकार अदवासी अर दूसर पुरखन के बेरा ले रहवैया (बन कब्जान के मानता) अद नियम दुई हजार छै दुई हजार सात के (दुई) के धारा एक ठे के नान जुरूम (तीन ठे) के भीत्तर पक्का करन के लाने तारीक इकतीस दिसम्बर दुई हजार सात ले, ओहिच तारीक मा लागू करथैय, जेखा ओहिच अधनियम मा उपबंध ले मान होही।

दसकत
संयुक्त सचिव
भारत सिरकार
(फा.सं. /7014/02/2007)
पी.सी.एड.बी (जिल्द)

अदवासी अर दूसर पुरखन के बेरा ले रहवैया

(बन कब्जान के मानता)

अद नियम दुई हजार छै

(दुई हजार सात के अद नियम संख्यांक दुई)

(उनतीस दिसम्बर दुई हजार छै)

वन मा रहन वारे अईसना अदवासी अर दूसर पुरखान के बेरा ले, बन के रहवैयन के जोन ऐसना बनन मा पीढ़ी तले रहवास करथैं अखर उनखे हकन ला नहीं लिखे जाये सके आय, बन हकदारन अर बन जाघा मा पावन का मानता देने अर वन जाघन मा जोन ऐसना वनन मा पीढ़ीन ले रहवास करथै, हकदारन ला लेखा करन के लाने बनाये हरा ला अर बन जाघा के लाने हक दारन ला, ऐसना मानता देय अर पावये के नीता खास परमान के जरूरत हावैय।

अधनियम

डोंगरान के रहवैया अदवासी अर दूसर पुरखान के बेरा ले डोगरन के रहनवारे, मानता पायेहरा हकदारन लम्बो समो मा बवेरेय के नीता जुम्मे अर हक, जियैया का

समारन अर ओखर बारे मा तार मेर बनायके रखन अर डोंगरन के रहवैया अदवासी अर दूसर पुरखान के बेरा ले रहनवारे के जीयन का औफेर खातू के हिफाजत ला पक्का करन के समो मा डोगरन के संभारन खा जुगाड़ ला सुधर करन ला सामिल हवै।

(3)

अर गुलामी के बेरा मा औफेर अजाद भारत मा राज्य बनन ला चीन्हा करत समो, उनखर पुरखौती जाधन मा बन हक दारन अर उनखर रहवास ला पांय जोग ले मानता नहीं दैय रहै। जेखर पावन खातिर बन के रहवैया उन अदवासीन अर दूसर पुरखान के बेराले बन के रहवैयान के लाने पूरो समोल अनयाय होइसे, जोन बन रहन बंसन के ढंग ला बचायेला अर बनाये रखन के नीता कैइठो अंग हावै।

अर या जरूरत होय गइसे कि बन के रहन वारे अदवासी अर दूसर पुरखान के बेराले बन के रहवैयान ला जेखे भीत्तर वा अदवासी औ हवै, जेखा राज के समहरन ले उपजन करन के लाने, रोक टोक भइसे, अपन रहवैया दूसर ठाहर बनाये के नीता हट कन करे गये रहै जादा समोले चले आये हरा जाघा संबंधी टहल टकोर न करे हरा या बन मा जायके हक दारन ला सुरता दै जाय।

भारत गण राज्य के संतावनवें बरस मा संसद ले तरी लिखे हरा के रूप मा या अदनियम होय।

पाठ एक ढे
सुरूले

(एकठे) (एकठे) – या कानून खा बिरर–बिरर नांव अदवासी अर दूसर पुरखान के बेरा ले डोगरा के रहैया (डोगरा कब्जा के मानता वारे)

कानूनन दुई हजार छै हवै। बिरर–बिरर नांव अर सुरू।

(दुइठे) – ऐसे बिथराव जम्मू–काश्मीर राज्य के सिवाय पूरो भारत मा हावै।

(तीनठे) या ओहिच तारीक ले मान हो ही जोन केन्दर सिरकार राज पत्र मा अध सूचना ले नियत करिस।

बोल चाल (दुइठे) या नियम मा, जब तलक जोन बातला कहे जाथैं ओखर ले दूसर के आसरा न होय

(क) सपफा झना जुर मिल के डोंगर के फयदा ले गांव के सियानन के पहर ले या पुरखौती पहार ले, डोंगरा पहार से गाय गोरून ला चरावत पियावत आये हवन सपफा झन मिलके चाहे झूर ,बरसाइत, जाड़ भले होय ओखरच आसरा मा, सहारा मा, जेखर भीत्तर चाहे सिर कार के अधीन होय, डोंगर पहार अर चाहे ओखर टहल टकोर वारे होय। जैसन कि सिरकार के नियम ले जादै रखवारी करके बचनहा डोगरा होय, चाहे देश के नांव से उन डोगरा ला राखे होय, (राष्ट्रीय उद्यान) हमार सपफा झनन के गुजर करनहां डोगर आय।

(ख) बहुतै जादा बन के जीवन के रहनहां ले देश के डोगरा अर पहारन के ऐसना जाघन से मतलब हवै, जेला आज काल के डोंगर पहारन के बारे मा जादै जाने समझे हरा मनसे अर कछू चीजन के असल ढंग ले बचावन के नीता मामलावार, जादै असल ढंग ले सपफा बातन ला कहे गैसे कि ऐसन हरा वन के जीव पहारन मा रहनहां बाघवा, भालुवा, चितवा के रहके अर मन मरजी ले चरैं, पिये फिरै बागै उनला कछु के फिकर न रहै जैसना कि हमार डिल्ली के सिरकार के परियावरन अर डोगरा पहारन के दखें सुनै बारे विभाग दुआरा एक ऐसन जादै जनवैया मनसेन के एक सुमिति ले सुमता खुल्लम–खुल्ला बत काह के पाछू या बात ला तय करके बताये जाय, जेमा व सिरकार ले तय करे हरा, जादै जन वैया मनसे जोन ओहिच मेड़ोने के डिघा के रह वैया होय, सामिल रहहीं। जेमे धारा (चारठे) के नान धारा (एकठे) अर ओखरेय नान धारा ले, लये गइसे, तोन बूता पूरो होय या फेर आसरा मा ऐसना मेड़ोन के नीता विचार बनायके लाने, अदवासीन के भला करन के लाने, जोन मंत्रालय बने हवै मुखीया सोउ सामिल हो ही;

(ग) डोंगरन मा रहवैया अदवासी, चाहे ऊंहा कनो जात के होवै अदवासी भर कहात होय। अदवासी ऐसन सदस्यन के मतलब हवै या अकटठा रहवैया ले मतलब हवै, जोन कोऊ सुरूले डोगरन मा घर बनायके रहत आइने अर उहैं ले अ पन बनी बूता चलावत आइने चाहे डोगरन मा मिलनहां कछू चीज होय, चाहे डोंगरन ला काट के खेती किसानी करत रहे हों ओंखरैय भीतर अदवासी गाय गौरून ला चरवैया मनसे होही, सपफाझन सामिल हवै।

(घ) डोंगर जाघा' ले मतलब, डोगरन के आर–पार के मेड़ोन के जाघा से मतलब हवै, चाहे वा कैसनो जाघा होय ओखर भीतर चाहे वा जाघा अलगे–अलगे मेड़ोन के नांव मा बंटे होय चाहे न बंटे होय, चाहे व डोंगरा के क्षेत्र के नांव ले नपे हरा होय या न होय। बन समझे गये हरा होय, सिरकार ले बचाये हरा डोंगर, चाहे आरक्षित वन सिरकार पानी वारे ठांहर, नरवा झोरका, तलबन के आरपर लगे हरा रूखवा राई होय, चाहे देशनके बड़ का हस डोगरन मा, जेमा सिरकार आना धेला रूपया लगाय के पगरा ला रूंघवा देथै नकरिन के अर डोगरा के जिवादन ला बचावयें के लाने।

(ड) '' बन हकदारन'' ले नियम के धारा तीनठे मा लिखे हरा वन कब्जान से मतलब हवै।

(च) '' डोगर गांव'' ले ऐसना बसे हरा गांवन से मतलब हवै जोन राज्य सिरकार के जंगली विभाग बड़े–बड़े साहबन के कहें से डोंगर ला बचावैय के लाने, डोंगरन के भीतर बसाये गये रहैं या फेर डोगरन ला बचावैये के नीता हुन गांव न ला वन गांवन मा बदल दये गैसे जेखे भीतर डोंगर बस्ती, डोगरा ला बचायें के नीता बसायें; बनाये गांव, ऐसना सवैय गांवन के सवैय मेर के डोगरा मा बसैया गांव बस्ती औ हवै। ऊंहा चाहे नांव ले जानत हौवे अर ओखर भीतर सिरकार ले जाने समझे हरा खेती, अर दूसर बूता के नीता औ जाघा हवै।

(छ) '' गांव सभा'' ऐसना गांवन के बैठुक के मतलब हवैं जोन गांव के सपफा जमान–जमान लरकान ले सदस्य मिल के बनही अर ऐसना राजन के हालमा कनों गांव

पंचायत नहीं आय, पारा टोला अर ऐसने हरा दूसर आगू ले चले आय हरा गांव के संस्था अर चुने हरा गांव समिति औ हवै। जेमा डवकीन के पूरी अर कनो रोक टोक के हिस्सादार हवै।

(ज) (रहवांस) गांव बस्ती बनायके रहें के नीता ऐसना जाघा औ हवै। जेमा सुरू ले अदवासी जुर के खेती पाती सुरू करके पहले ले अकट्ठा अर दूसर मेर ले डोंगरनमा रहे बसे अदवासीन के चाहे हुन सिरकार के नियम कानून ले बचाये हरा डोगरा होय, चाहे बचाये हरा होय डोंगरन मा पुरखौती ले गांव घर बनायके भर रहत होय सामिल हवै।

(झ) ''गौण बन उत्पाद'' के भीतर झाड़ झंखार रूपमा जोन घर दुआर बनाय के काम मा नहीं आवै अखर आंय ता डोगरा के नकरी आथै, जेमा बांस, रूखवा, झंखाड़ ठूठ बैंत, तुसार, कोया, रस, मोम लाख, तेंदू या फेर तेंदू फ्ता, दवाईन के पौधा अर जड़ी बूटी, कांदा कूसा अर ऐसना हरा दूसर डोंगरन मा उपज होवनहां तीज सामिल हवै।

(त्र) 'नोडल अभिकरण' ले धारा गेयारा मा तय भये हरा योजना ले मतलब हवै।

(ट) ''अधिसूचना'' ले मतलब हवै सिरकार जोन तीज ला पूरो करें के नीता नियम कानून बनाथैं ओला सपफा झन जान समझले कहत अपन सिरकारी कागत मा जानकारी देथै ओला कहथैं।

(ठ) विहित–ले मतलब हवै सिरकार ले बनाये नियम।

(ड) ''अनुसूचित क्षेत्र'' ऐखर मतलब या हवै कि हमार देश के अजादी भये के बाद जोन नियम कानून देश ला चलाये के नीता बनायके एक बड़ा जानी किताब छापे हवै ओला संविधान कह थैय के एकठन भाग दुइ सौ चौवालिस के खण्ड (एकठे) मा तय करे के पाछू लिखे हरा खास–खास क्षेत्रन से मतलब हवै।

2003 का 18 (ढ) ''सही–सही बवरना'' के ओहिच अरथ होही जोन नानले बड़े हस जिव कुलैय मेर के हावै, उनखर नियम बरस दुइ हजार दुई के कानूनन के धारा दुई के खण्ड (ण) मा हावैः

(ण) ''दूसर पुरखान के बेरा ले रहवैया'' ले ऐसना कोनो सदस्य या ठाहुरन संग तेरा दिसम्बर दुई हजार पांच के आगू कम से कम तीन पीढ़ीन ले अब तक डोगर भीतर या डोगरा के जाघान मा रहे हरा हो ही अर जोन जीयके लाने सहीच जरूरत भर के लाने ओहिच मा आसरा करें हवै,

पूछा जानी– या खण्ड मा पूरा करके नीता ''पीढ़ी'' ले पचीस बरस के समो ले मतलब हवै।

''गांव'' ले तरी लिखे हरा बातन से मतलब हवै।

1996 क्रा 40 पंचायतना ला फेर के जोन नियम के ढंगले बनायके उननला एक पक्का लगान मा उनीस सौ छयनबे के धारा चारठे के खण्ड (ख) मा पक्का करे गैइसे कनो गांव या फेर–

पक्का करे हरा खास जाघा ले अलगेच पंचायतन से सम्बध कनो राज के नियम या गांव के ढंग मा तयकरे गइसे मेड़ोन या फेर

बन गांव पुरखान के जमाना ले बसे हरा बस्ती हवै अर बिना सर्वे करे हरा गांव के नांव से होय या न होय–

ओइसना राजयन के रूप मा ऊंहा पंचायत नहीं आय, पुरान जमाना के गांव, चाहे वा कोऊ के नांव ले जानत होय।

1972 का 53 (थ) ''जंगली जानवर'' ले मतलब हवै डोगरन के रहवैया, जंगली जानवरन के जादै रेख टेक करै के नियम उनीस सौ बहत्तर के बनाये हरा के करमांक एक से चार मा लिखे हरा, पक्का करे हरा पशुन के ऐसन मेर से मतलब हवै जोन डोगरान मा पेदा होइने अर ऊंहाचे रह थै

पाठ दुई
डोंगर कब्जा

3 (।) या नियम कानून के परयोजन के नीता डोगरन के रहवैया अदवासी अर दूसर पुरखान के बेराले डोगरन मा बसेहरन के सपफा डोगर के जाघन मा तरी लिखे हरा डोंगर के कब्जा हो ही जोन चाहे भले अकेल होय या फेर अकट्ठा मिलके जाघन मा कब्जा जमाये हवे, हक दार हवै, कहै के मतलब कि

(क) डोंगरन के रहवैया अदवासी अर दूसर पुरखान के बेरा ले डोंगर के रहवैया कोनो सदस्य या कोनो सदस्यन ले रहैय के नीता या फेर अपन लरका बच्चन ला पालै–पोसै के नीता खेती खुदैच करे या फेर अकट्ठा जुरके करैं, सपफा झनन ला जमीन ला पायेके हक्क

(ख) रोज–रोज के बूता मा अपनहा अकट्ठा भले कोनो नांव ले जाने जात होंही, जेखर भीतर राजन के राजके जमाना या राजन के छोट मोट अधकारी या उनखर माझे के सिरकार के शासन करवैया हक्क अब सामिल हौवें।

(घ) बिना रोक या सब झनन के गाय गोरून के चरवैया नीता, मछरी पोसै अर पानी पियावै अर दूसर औ कनो फायदा (चरवाई पक्का करेहरा होय अर घुमैया फिरैया दोऊ) के बबरन का या फेर ओहिच मा हकदारी अर पुरखौती मौसमी संसाधन ले पठोयके दूसर समूहन के हक्क

(ड़) वा हक्क, जेखर भीतर अदवासी समूहन अर खेती करै के आगू अकट्ठा के लाइक घर अर ओमा रहैके अकट्ठा जाघा मा कब्जा करैके हक्का सोऊ हवै।

(च) कनो ऐसना राज मा, ऊंहा हक्कन के नीता लराई झगरा हवै, कनो नांव रिवाज के भीतर लराई–झगरा के जाघा मा या फेर ओखर ऊंहा हक्क अव हवै।

(छ) डोंगरा के जाघान मा हक्क के लाने, कनो ऊंहाक रहैया अधिकारी या कनो राज्य सिरकार ले दये हरा कब्जा पट्टा धारण करैया या सहायता करके या फेर पावैय के हक्क हावै।

(ज) डोंगरा मा सबैय बसे हरा गांव बस्ती जुनहा रहैया बसैया हवै, चाहेता सिरकारी हिसाब मा न होये, दूसर गांव ले आयके रहत होये, हुन चाहे राजस्व के कागजात मा लिखे हरा हौवे या फेर झैय होवैय, कोनो जाने चाहे झैय जाने।

(झ) ऐसना कनो जुरके डोंगरा के चीजन के बचाय के फेर ले सुधारे बनायके लाने या फेर परबंद करके हक होय, जेखर ओला घरी–घरी बूता मा लाने नीता आगू ले बचाये अर बचावत रहै।

(ञ) ऐसना हक्क जेनला कनो राज्य के नियम या फेर क्षेत्रन के शासन करवैया अर स्वाशासी जिला परषद या फेर स्वाशासी क्षेत्रन के परषद के भीत्तर मानता दैय हरा होय या तो जेला पुरखान के पहरा ले अदवासिन के हक्कन के रूप मा माने गये हरा होही।

(ट) नान बड़े जीवन के, जीये के हक्क अर उनखर, जोन ऊंहा रहथैय, उन सबके पुरखाती धरोहर ले अर उनखर अक्किल ला बनाये रखेके सपफा झना के अकट्ठा जुमा।

(ठ) कोनो ऐसना पुरखान ले अधकार जेखर जैसना के तेसना, डोगरान के रहवैया अदवासी अर दूसर पुरखान के बेरा ले डोगरा के रहैयान ले पुरखावती ले जेखर फायदा आगू ले करे जात राहै, जोन खंड (क) ले खंड (ट) मा लिखे हवै, अखर ओमा कोनो जात के जंगली जानवर होय, शिकार करेला उनला फंदाये ला अर उनखे शरीर के कोनो अंगला निकाले के आगू ले हक्क नहीं आय।

(ड) आगू ले जैसे के तैसे के हक्क, जेखर भीत्तर उनखे मामला मा कोनो औ जाघा हवै ऊंहा अदवासी ओं दूसर पुरखान के बेरा ले डोंगरा के रहवैयान ला तेरा दिसम्बर पांच के आगू कोनों मेर ले डोंगरासू जाघा मा फेर ले बसे के उनखर कानूनी हक्क पाये बिना, बिना काननून के उनला भगावये के अर छोड़ायके नहीं आय।

1980 का 69 (2) वन संरक्षण कानूनन, उनीस सौ अस्सी मा कोनो बात के रहे भये दिल्ली के सिरकार, सिरकार ले इनजाम तरी लिखे हरा फायदान के लाने डोंगर के जाघान ला, बदलन के नियम बनाही ओखर भीतर प्रति एक हेक्टेयर जाघा के नीता सिरिफ पचहत्तर रूखवन ला काटे के हवै। अब फेर

(क) लरकन के पढ़नहा स्कूल

(ख) दवाई गोली मिलनहा जघा, रस्पताल

(ग) नान–नान लरकन के सिखान पढ़ान के ठांहर (आंगनबारी)

(घ) सस्ता गल्ला मिलैय के जघा

(ड) बिजली अर दुरिहाभर, बातचीत करें के लाइन

(च) पानी जोरे के टंकी अर नान मून खोदरा

(छ) पिये के पानी के इंतजाम अर पानी लाये के पाइप लाइनें

(ज) पानी औ बारिस के पानी ला रोकय के उपांव

(झ) नानमून सिंचाई के साधन, नहर

(ञ) शक्तीन ला जोरें के साधन

(ट) लरकन के होसयारी बढ़ाये के या उननला अच्छा पढ़ाये लिखाये के जघा ठाहर

(ठ) सड़कें अर

(ड) सब झनन के मिलके काम करन के जघा ऐखर पाछू अब डोंगर जाघा मा, तबैय ऐसना बदलाव लाये जाही !

(।) या उपधारा मा लिखे हरा बातन के नीता, बदला करेन के लाइक ऐसना डोंगर जाघन मा, हरेक मामला मा एक हेक्टेयर ले कम हवै अर,

(।।) ऐसना कोनो विकास के काम के योजना के बातन मा कोनो आपत्ति नहीं आय, ओखर सिफारिस गांव सभा ले करे गईसे।

पाठ तीन

बन अधिकारन के मानता, उनखर फेर ले बनाये रखनके अर ओखर बनाये रखेके खातिर विषय

(4) (1) वा समय मा लगे कोनो दूसर नियम मा समवाये, कोनो बात के रहेभर मा अर या नियम के नान नियम के तरी रहत हरा, केन्दर सिरकार–

(क) ऐसना राज या राज्यन के ओहिच भागन मा डोंगरा के रहैया अदवासीन के जहां उननला धारा तीन मा लिखे हरा सपफा डोंगरन ला पायेके हक्कन के बात मा अदवासीन के रूप मा घोषित करे गइसे।

(ख) धारा तीन मा लिखे हरा सपफा बन अधिकारन के नीता दूसर पुरखौती डोंगरन के रहवैयान के बन अधिकारन ला,

मानता देथै अर ओहीमा तयकरथैं–

(2) राष्ट्रीय उद्यानन अर अभ्यारणयन मा रहवैया जीव जानवरन ला विपत परेमा उनखर रहैय के लानै या नियम के अधीन मानता पाये के नीता बन अधिकारन ला अर बाद के हक्कन के लाने फेर ले बनाये जा सकही, अखर कोनो औ बन के हकदारन ला फेरसे न बसाये जाही कोनो तरहले उनखर हक्कन मा जीवनला बचाये के लाइक जोन कोऊ ओहिच क्षेत्रन मा अति न करही, बनाये के नीता तरी लिखे हरा मा सपफा बातन के सरत मा, पूरो करैके हालत मा ओमा कोनो फरक न परही, अबफेर

(क) जोन बातन के संबंधमा सोचा–समझी हावै उन सपफा क्षेत्रन मा धारा छैय मा, जेखर बारे मा लिखे हक्कन के मानै के अर तय करैके काम पूरो होही।

(ख) राज्य सिरकार ले जुड़े योजनन मा, डोंगरा मा रहै वारे जीवन के बचाये के नियम उन्नीस सौ बहत्तर के भीतर अपर शक्ति ला बताय के नीता या बातला जादा बल दैय के कहे गइसे कि हक्कन मा धारकन रहे के डोंगरा मा रहनवारे पशुन के क्रिया कलाप या परभाव न बदले लाइक, नुकसान करैके नीता काफी हवै अर जंगली जानवरन के जिंदगी अर अनखर रहवास के लाने खतरा हवै।

(ग) राज्य सिरकार या बातन के फैसला कर लइसे कि मिलजुर के बूता करैके औ दूसर समय के लाने सोच के काम करैके तरीका अब नहीं आय।

(घ) दुसराये के करैगये हरा इन्तजाम औ फायदा पहुंचाये के नीता ओहिच सब भागन मा (क्षेत्रन) गांव सभान के अजाद सूचित (राय) सहमति लिखित रूप मा लै, लये गइसे।

(ड) कोनो दुसराये के इन्तजाम तवैच हो ही, जब दुईबारा बसैइन के इन्तजाम मा लाभ अर जाघा बाटे मा वायदा करे गईसे अर काम पूरा कर लै गइसे–

अखर दुखी ले दुखी बन मा रहवैया जीव जन्तुन के रहवास, जेमा अधिकार धारकन ला ऐसना परकार ले डोंगरासू जीवन के बचावैया के नीता फेर बनाये जाथै बाद के राज्य सिरकार होय या डिल्ली सिरकार या कोनो एक के दुआरा कोनो दूसर उपयोग के नीता भले होय, बदलाव न करे जाही।

(3) डोंगरासू जाघा अर ऊंहा के रहवैयन के नीता कोनो राज्य या संघ के राज्य के अधिकार क्षेत्र के होय उनखर बारेमा डोंगर के रहवैया अदवासीन अर दूसर पुरखान के बेरा ले डोगर रहवैयन ला या अधनियम भीतर बन के हक्कदारन ला मानता दयेला अर उनखर हित तय करैके सरत हो हीं, ऐसना अदवासीन या जनजातिन के समूहन या फेर दूसर पुरखान के बेरा ले डोंगर के रहवैयन ला तेरा दिसम्बर दुई हजार पांच ले आगू डोंगर जाघान के फायदा के बात ला लैलये गईसे।

(4) उपधारा (एकठे) ले दये हरा कोनो हक्क वंशागत हो ही अखर दूसर के नांव या दूसर ला बेचें के नीता न होही अर बिहाव होय हरा आदमिन के हिसाब मा दोनों डौकी–डौका के नांव मा अकट्ठे रूप मा अर कोनो घर के मुखिया अकेले हवै ता एकै मुखिया के नांव मा लिखा पढ़ी हो ही औ फेर सीधे वारिस के गैर हाजिर मा वंशागत अधिकार दूसर सगे संबंधी के नांव मा चले जाही।

(5) जेखर दूसर बने नियम ओखर ले दूसर, बन मा रहवैया अदवासी अर दूसर पुरखान के बेरा ले डोंगरा के रहवैया, कोनो सदस्य जोन व जाघा के मिले हरा ला तब तक बेदखल न करे जाहीं या न हटाये जा ही, जब ले पूरा जानकारी औ गवाही काम पूरा न कर लये जाय।

(6) ऊंहा उप धारा (एकठे। ले मानता पाये हरा अर तय करे हरा डोगर के हक्क के धारातीन के उपधारा (एक) के खण्ड (क) मा जाघन के बखान करे गइसे या हवै, ऊंहा ऐसना हरा जाघान के नियम के सुरू के तारीक मा कोनो मनसे, कबीला या फेर अकट्ठा

मनसेन के लाभ के नीता लिखे गये हो ही ऐसना जाघा सही या ओखर फायदा लैय के नीता अधीन क्षेत्रन तक ले, बिना बंधन के हो ही अर कोनो तरीका ले ऐखर रकवा चाार हेक्टेयर ले जादा न हो ही।

(7) वन अधिकारी, कनो परेशनी ले सबन के हित मा ध्यान धरके काम करे जाही, जेमा डोंगरन के बचाये के नियम उनीस सौ अस्सी के भीतर बिना रोक–टोक के या कानूनमा लिखे हरा बातन के सिवाय, वन जाघन मा अपयोजन के लाने साफ–साफ समो के मान ले कीमत अर न ंव रूपमा बन रोपन के काम करैके आसरा हवै।

(8) या कानून के भीतर माने हरा हक्क मा डोगरन के रहवैया अदवासी अर दूसर पुरखान के बेरा ले रहैया अर दूसर रहवैयान के बन के जाघा हक्क घलो सामिल हो ही। जोन या बातला साबिद कर सकथै कि हुन राज्य विकास के रोक लगान के कारण जाघान मा रहेके अर खेती करे से हुनला अलगे करे गये राहै, अर जोन जाघा मिले राहै, ओखर उपयोग न करे राहै, जोन कारण ले ओला जोन जाघा मिले राहे ओला पांच बरस के भीतर मा ओखर उपयोग न करै रहै,

बन हक्कदारन क कर्त्तव्य

(5) कोनो बनन के हक्कदार, हुन जाघान मा, या कानून के भीतर कोनों बन हक्क दारन के धरैया हवै, गांव सभी औ गांव के बरोबर के संस्था जोन भर हवै का ताकतदार हवै।

(क) बन के रहवैया जीव, डोगर अर ऊंहा के रहवैया कई मेर जीवन के बचाईया

(ख) या बातला पक्का करही कि जोन ठाहरले पानी आही व पानी आवय के साधन अर दूसर तरीका ले असर करही अर फेर जाघा असल ढंगले बचे हवै।

(ग) या तय करैकि बन मा रहवैया अदवासी अर दूसर ढंग ले बन मा रहवैया, कोनों डोगरला नुकसान पहुंचाये नीता कोनो ऐसना काम व्यवहार न करै जोन उनखर पुरखोती अर अपन ढंगले रहेला प्रभावित करथै

(घ) या बातन ला तय करना हवै कि समूहन मा डोगर तक पहुंचने के साधनमा कोनो ऐसना काम कभू न करे जाय, जोन डोगरन जीव जन्तु हवै उनखर उप्पर, दूसर मेर के प्रभाव न डारे जाय, गांव सभा मा लैय हरा निर्णय के पालन करे जाथै।

पाठ चार

डोंगर के पहारन के हक्कन ला तय करै के नीता जिम्मेदारी अर तरीका

डोंगर के रहवैया अदवासी अर दूसर पुरखान के बेरा ले डोगर के रहवैया के बन अधिकारन का तय करै के नीता जिम्मेदारी अर ओखर तरीका।

6 (।) गांव सभा ला, ऐसना कोनो मनसे या फेर समूहन ला डोगरा के हक्कन ला, दोनो झना के जरूरत हवै प्रकृति अर सीमा ला तैय करेके लाने हक्कहोही, जोन मा नियम के भीतर ऐखर हक्क के स्थानी सीमा के भीतर डोगरा मा रहवैया अदवासी अर आगू ले रहवैया मनसेन ला, हक्क ला मानके, उनखर काम के गवाही अब ऐसना तरीका मा जोन सही आय, सिपारिस करे हरनके जाघनला जान बूझके उनखर नक्शा तैयार करे जा सकथैं त फेर ग्राम पंचायत ओखर मतलब ला समझके अपन सभा मा माने के बाद ओखर एक नमूना अपन के उप्पर बारे के सुमिति ला पठोय दे ही।

(2) अखर ग्राम सभा ले दुखी हवैता वा उपधारा (तीन) के भीतर बनाये हरा उप खण्ड ला अपन शिकायत देही ता फेर उप्पर वारे सुमिति ओला विचारके नियांव देही।

अखर एक ठन बात जरूर हवै कि ग्राम सभा के बनाये हरा काम ला साठ रोज के भीतर कोनो होय दैयला परही अखर एकठन बात औव हवै इसना ढंग के याचिक

दुखिया मनसेन के विरूध मा निपटारा तब तक न दैय जाही तबतक हुन मनसेन ला उचित समो मा अपन मामला ला दैय के समो न दैय जाही।

(3) राज्य सिरकार ग्रामसभा ले निपटारा करेहरा बातन के जांच करन के नीता एक ठन उपखण्ड स्तर के सुमिति गठन करही अर डोंगरन के हक के कागजात बनाही अर उपखण्ड अधिकारिन ले आखरी के फैसला दैय के नीता जिला सुमिति के आगूमा पठोही।

(4) उप खण्ड के सुमिति के फैसला ले दुखिया मनसे फैसलान के विरोध मा साठ रोज भीतर जिला के सुमिति ला अपन याचिका देही अर जिला सुमिति ऐसना याचिका ला सोच समझ के ओखर निपटारा करही, अखर एकठन बात हवै ग्राम सभा के फैसला के विरूध मा कोनो याचिका ला जिला सुमिति के अंगारू न धर सकही जबले झोला उपखण्ड सुमीति अगारू न दैय हरा होय औ ओखर विचार ऊंहा न करे गये हरा होय।

ऐखर पाछू ले या हवै कि याचिका के निपटारा तब तक न करे जाही जवले दुखिया मनसे के बात ला सुनै के नीता पूरो समो न दैय गये हो ही

(5) राज्य सिरकार उपखण्ड स्तर के सुमिति तियार करे हरा न के बन अधिकारन के काग जातन ला धोखन के नीता अर आखरी सुमता के लाने एकठन जिला सुमिति के गठन करही।

(6) डोगरन के अधिकारन के कागजात न ला जिला स्तर के सुमिति के बनाये हरा काम ला मने मा लचार हो ही।

(7) राज्य सिरकार डोगर संबंधी अधिकारिन ला मानता दैय के नीता अर ओला तय

करके प्रक्रिया ला सही ढ़ंग ले काम करैके हिसाब ला अर सूचना ला, जोन वा योजनान ला मांगे जा ही ता जिम्मेवार अभिकरण न ला पठोय के लाने एकठे राज्य स्तर के जिम्मेदार अधकारी बनाही।

(8) उपखण्ड स्तर के सुमिति, जिला स्तर के सुमिति अर राज्य स्तर के सुमिति मा राज्य सिरकार के राजस्व विभाग, वन विभाग अर अदवासी विभाग के अधकारी अर समुचित स्तरमा पंचायती राजन के स्तर के तीन ठन मनसे रह ही, जिनला पंचायत राज्य संस्थान ले तय करे जाही, जेमा दुई झना अदवासी हो ही अव फेर कम से कम एक झन मेहरिया हो ही, तेला जैसना तय करे जा ही।

(9) उपखण्ड स्तर के सुमिति, जिला स्तर के सुमिति अर राज्य स्तर के जुम्मेवार सुमिति के बनाव अर उनखर कामन ला पूरो करे के नीता जोन तरीका हुन अपनाही ओहिच ढंग ले काम हो ही।

पाठ पांच

या कानून के भीतर खास योजना अर सुमिति के सदस्यन के या फेर अधिकारिन के अपराध

जहां कोनों सिरकारी काम या तो योजना सुमिति के बड़ा अधिकारी या फेर सदस्य इन नियम न ला उनखर अधीन डोगरन के अधिकारिन के मानता ले संबंधी बनाये हरा कोनो नियमन के कोनो उपबंधन ला न मान ही चाहे कोनों एक झन मनसे होवै या फेर जादा मन से हवै ता नियम के भीतर अपराध के दोषी माने जाही, अरे उनखर उप्पर कार्यवाही करे जाही ओमा ओला सजा के रूप मा एक हजार रूपया ले जुरवाना से दंड दैय जाही।

अखर एक ठन औ हवै या उप धारा के कन्नो बात या धारा मा जोन लिखे हरा हवै, योजना या सुमिति के कन्नो सदस्य विभाग के मुखिया या कन्नो मनसे ला डांड़ के भागीदारी न बनाये जाही, या वा साबूत कर देही ता व बातन के जानकारी ओला नहीं रहे आय, या तो अपराधी बने के अगारू अपन बचे के लाने उपाव करन लगे रहै।

(8) कोनों अदालत या नियम सात के भीतर कोनो अपराध के तब तक पूछा जानी न करही जब तक कोनो भय हो, जंगली क्षेत्रन मा रहवैया अदवासी ग्रामसभा के तय से संबंधित कोनो विवाद के मामला मा या फेर कोने बड़े अधिकारी के विरूध कोनो तय भय हरा बातन के माध्यम ले, ग्राम सभा, राज्य स्तर के पर बंध सुमिति न ला साठ रोज ले कम के खबर नहीं दैय दे अर राज्य स्तर के परबंध सुमिति ऐसना अधिकारिन के विरूध कार्यवाही न कर लैय होय। अपराधन के गवाही।

पाठ छै

प्राधिकरण के सदस्यन के लोक सेवक के मानता

(9) पाठ चार मा बताये हरा जादैय जरूरी बनाय हरा सिरकारी योजनन के सपफा सदस्यन अर नियम कानून ले या ओखरे भीतर दैय हरा शकतिन ला प्रयोग करैया दूसर अधिकारी, भारत देश मा सजा दवहना धारा (इकैइस) के भीतर मा लोक सेवक अधिकारी माने जाही

सदभावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण

10 . (1) या अधनियम के भीतर दूसरन के भलाई के लाने करेहरा, या फेर करे जावे लाइक, कोनो ऐसना बातन के लाने कोनो समस्या, कोनों कानूनी कार्यवाही चाहे व दिल्ली सिरकार व राज्य सिरकार के कोनो अधकारी या कर्मचारी न करे जाही।

(2) या काननून के भीतर मा अच्छाई के लाने करे लाइक होय, कोनो आसरा ले होवन लाइक नुकसान होय या फेर, झगरा या कोनो दूसर कानूनी कार्यवाही न हो सकही चाहे दिल्ली सिरकार होय, चाहे राज्य सिरकार ले होय, कोनो अधकारी, चाहे कोनो कर्मचारी घलो होय।

(3) या नियमन काननून के भीतर कलयान के लाने करे हरा या फेर करे लाइक

कोनो आसरा ले भय होवै लाइक झगरा या दूसर कानूनी कार्य वाही पाठ चार मा लिखे हरा, कोनों योजना, जेखर भीतर कन्नो अध्यक्ष ओखर सदस्य सदस्य सचिव, अधकारी अर दूसर कर्म चारी घलो हवै, ता उनखर विरूद्ध मा कार्यवाही न होय सकही।

नोडल अभिकरण 11. अदवासी मामले ले संबंधित भारत सिरकार के मंत्रालय या डिल्ली सिरकारी ले ऐखर भरोसे अधिकार रखन बारे अधकारी या फेर प्राधिकारी या नियम कानूनन के उपबंधों के काम पूरो करैं के लाने नोडल अभिकरण हो ही।

12. पाठ चार मा लिखे हरा सपफा प्राधिकारी इन नियमन ले अपन कर्त्तव्यन ला निरवाह करन अर अपन सकतिन के परयोग करेमा ऐसना साधारण या फेर कोनों खास बातन के भीतर हो ही जेला डिल्ली सिरकार, समो–समो मा लिखके देही।

अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पी करण न होना–

13. या कानून अर पंचायत उप बंध कानून उन्नीस सौ छयनवें मा दूसर उपबंधित के सिवाय या कानून के उपबंध ओहिचमा लगे कोनों दूसर तरीका के उपबंधों के सिवाय हो ही, नहीं ता उनखर अलपी करनमा।

नियम बनाने की शक्ति

14. (1) दिल्ली सिरकार या कानून के उपबंधन ला पूरो करे के लाने सूचना ले सरत के भीतर रहत मा नियम ला बनाय सकही।

(2) खास करके अर आगरूले मिले हरा शक्ति के परभाव मा बिना ओखर विरूधन असर डारे ऐसना नियम तरी लिखे हरा सपफा या फेर कोनों बातन के लाने उपबंध कर सकही–अव फेर।

(क) धारा छैय मा लिखे हरा प्रक्रिया के भीतर मा काम पूरो करेके लाने विवरणः–

(ख) धारा छैय के उपधारा एक के भीतर दावान ला पाये के नीता, उन ला समान करेला अर उनला पक्का करही या फेर डोंगरन के अधकारिन के परयोग के नीता सिफारिस करे हरा दावानला जाघान ला जांच के अव फेर नक्शा तियार करैके प्रक्रिया औ व धारा के उपधारा दुई के भीतर उपखण्ड सुमिति ला अपन सुनवाई के तरीका।

(ग) धारा छैय के उपधारा (आठ) के भीतर उपखण्ड स्तर के सुमिति, जिला सुमिति अर राज्य स्तरन के सुमिति, मानीटिरी सुमिति के सदस्यन के रूप मा भरती करे जाये वारे, राज्य सिरकार के राजस्व विभाग जंगली विभाग अर अदवासी।

(घ) धारा छैय के उपधारा (नौ) के भीतर उपखण्ड स्तर के सुमिति जिला स्तर के सुमिति अर राज्य स्तरन के मानीटिरी सुमिति के बनाये हरा सभा अर अनखर काम अर अपन के कामन के निरवाह मा अपनाये जाये प्रक्रियाः–

(ड) कोनो दूसर विषय जोन लैय जाये लाइक बात हवै या लैय जाये लाइक जरूरी हवै लैय जाये।

3. या नियमन के भीतर बनाये हरा सपफा कानून बनाये जाये के पाछू जल्दी ले जल्दी डिल्ली के बैठुक करवैया सभा के सामहू जब ऊंहा बैठुक चलत हरा होय, कुल तीस रोज के भीतर या फेर अवधि के लाइक रखे जाही अव फेर अवधि एकठे बैठुक मा।

या दुई या फेर जादा लगातार बैठुक मा पूरो होय सकही नहीं ता बैठुक के अगारूले या फेर आवन वारे बैठुक के ओसरे के पहले व नियम मा कन्नो बदलाव के नीता सहमति होय जाय ता व कानून बदला के रूप मा परभावी हो ही।

नहीं ता बैठुक के पूरो भय के पहले के बैठुक मा दोऊ सदन सहमति दै दें कि व नियम न बन ही ता पछारू ले व नियमन ला, पहले के हालत मा सिरिफ ऐसना उप्पर मा दै गये हरा रूप, नियम के रूपमा परभावी हो ही, या फेर बिना असर के होय जा ही, नहीं ता ऐसना कोनो फेर बदल के बिना परभाव के कारण ओहिच नियम के भीतर कोनों पहले ले करे हरा नियम के उलटा पर भाव न पर ही।

(भारत के राज पत्र, असाधरण, भाग 2, खण्ड 3 उप खण्ड (1) मा छपेहरा)

भारत सिरकार

अदवासी बूता मंत्रालय

जारी

एक–एक दुई हजार आठ

सा.का.नि.....(अ) मा तरी लिखे हरा पत्रक अदवासी अर दूसर पुरखान क बेरा ले रहबैया (बन कब्जान के मानता) अधनियम, दुई हजार छै (दुई हजार सात क 2) के धारा चौदा के उपधारा (एक) के आसरा ले भारत सिरकार स. सा. क. नि. चार सौ सैतीस (अ) तारीक उनीस जून दुई हजार सात के भीतर मा तारीक उनीस जून दुई हजार सात मा भारत के राज पत्र भाग दुई खण्ड तीन, उप खण्ड (एक) मा जारी कराये गये रहय, जेमा ऐसना सपफा मनसेन ले जेला उपपर मा लिखे अध सूचना (नियम) मा लिखे राज पत्र के कागत मनसेन ला दय दये गइसे रहै, पैतालीस रोज के भीतर समय रहत के पहिले रोक टोक, सलाह दये के बात मांगे रहै। औ उपपर मा लिखे राजपत्रन के कागतन ला मनसेन ला पचीस छः दुई हजार सात मा दये दये रहै। उप्पर लिखे प्रारूपन नियम के बाबद मनसेन ले रोके अर सलाह मा डिल्ली सिरकार ले सही सही सलाह मांगे गये रहै।

ऐखर मारे डिल्ली सिरकार अदवासी अर दूसर पुरखौती (डोगरा मा रहवैयन के) नियम दुई हजार छै (दुई हजार सात क 2) मा धारा चौदा के उप धारा (एक) अर उप धारा (दुई) मा दये हरा शक्तिन आज काल डोगरन मा रहवैया अदवासी अर दूसर पूरखौतिन ले रहवैया डोगरन के हक अर डोगरन के बौरे नीता दये अर ऊंहा बसै के लाने तरी मा लिखे हरा कानून बना ही, अवफेर,

1. नान हस रूप मा, ओखर फैलाव अर सुरू–

(1) ईहा नियमन के नान रूप मा नांव अदवासी अर पुरखैती डोगरन के रह वैया नियम दुई हजार सात हवै।

(2) इनखर फैलाव, जमबू कासमीर ला छांड़ के पूरो भारत भर मा हो ही।

(3) या बात ला राज पत्र मा लिखे तारीक ले माने जाही।

2. (बोल चाल ले) इन नियमन मा जब तलक कि या नियम ले दूसर नियम के जरूरत न हो ही।

(क) ''अधिनियम'' कानून ले मतलब हवै अदवासी अर पुरखौतीन ले डोंगरान मा रहवैया नियम, दुई हजार छैः (दुई हजार सात का 2) ले मतलब हवै।

(ख) ''जिंदगीला जीयेके'' ले जैसना कि नियम के धारा तीन के उप धारा (एक) के खण्ड (क) खण्ड (ग) अर खण्ड (घ) मा उप बंधित हवै, डोंगरासू जधन मा अपन खेती ले उपजन करके, खाये पिये से बचे दाना ला बेंच भाज के अपन अर कबीला के जरूरतन ला पुजा ही।

(ख) ''हक्क दार'' ले ऐसना मनसे अर मनसेन के समूहन कबीला मा अकट्ठा मनसेन ले मतलब हवै जोन नियम मा लिखे अधिकारन के मानता अर उनखर लाने फायदा के लाने हवै।

(घ) नियम के धारा 3 के उपधारा (एक) के खण्ड (ग) के भीतर ''साधारण'' परकार डोगरन के फायदा मिले भीतर से उपजे डोंगरान उपजन ला अकट्ठा करै वारे मनसेन ले जियें के मारे ऐसना उपज के जियौका के अपनेच जघा मा तय करे भये, बढ़े हरा दाम डोंगरासू जघा मा मूंड़ मा धरके, साइकलन मा, ठेलन मा धरके बेचैय के हवै।

(ड.) ''डोंगरन के अधिकार सुमिति'' ले नियम तीन के भीतर गांव सभा मा बनाये हरा सुमिति ते मतलब हवै।

(च) ''धारा'' से मतलब हवै नियम के धारा।

(2) इन शब्दन अर पदन के अरथ जोन इन नियमन मा लाने गइसे औ अरथ नहीं बताये गये आय अखर मा अलखाये हवै वोहिच माने जाही जोन नियम मा हवै।

3. गांव सभा (1) गांव सभा मा ग्राम समन के मधे मा अर ओखर ले आगारू के बैठुक मा, अपन सदस्यन से कम से कम दस मन सेन ला पर पनद्रा मनसेन से जादा झै हो वै, डोगरन के सदस्यन के रूप मा चुनही, जेमा फेर कम से कम एक तिहाई सदस्य अदवासी होही।

अखर जहां अदवासी न होही ऊंहा ऐसना मनसेन मा एक तिहाई मन से महिला होही।

2. डोंगरन के अधिकार समिति अध्यक्ष अर सचिव के चुनाव हुन खुदै करहीं अर ओखर सूचना उप खण्ड स्तर ला देही।

(3) डोंगरन अधिकार सुमिति के कन्नो सदस्य मनसे डोंगरान अधिकार मा अपन दावा करही ता ओखर सूचना सुमिति ला देही ता फेर ओखर दावा मा विचार करे जाही त वा समो मा वा ऊंहा नहीं रह सकै।

4. गांव सभन के बूता (1) गांव सभा –

(क) डोगर के बनाव अर सीमा बनाये ला कार्यवाही शुरू करही अर उनखर, ओखर ले संबंध मा सुन वाई करही।

(ख) डोगरन के अधिकारन के दावा करैयन के सूची बनाही अर दावेदार के ऐसना व्यौरा ला रजिस्टर मा चढ़ाही अर डिल्ली सिरकार के आदेशन मा काम करही।

(ग) डोगरन के अधिकारन के संबंधन ला, दाबन मा ओखर बिचार, जुड़े मनसे अर ओखर सूनवैया अधिकारिन ला सुनैके समो दये के पाछू, अपन विचार के उनला उपखण्ड स्तर के सुमितिन ला पठोय देही।

(घ) अधनियम क धारा चार, के उप धारा (दुई) के उप खण्ड (ड) के भीतर दुसराये के इन्तजाम करन के विचार बनाही, अर।

(ड.) अधनियम के धारा पांच के उप बंधन के मुतालवे काम करै के नीता डोगरा जीवाधन, डोंगरन मा रहवैया कैई मेर जीवा धन के डोगरन मा रहवैया कैइ मेर जीव धन के बचावै के लाने अपन सदस्यन मा सुमिति बनाही।

(2) गांव सभा के बैठुक तबै होय पाही जब ग्राम सभा के दुई तिहाई सदस्य हो हीं।

अखर जोन गांव मा अदवासी अर दूसर जातन के संख्या जादा हवै ऊंहा जादा जात वारे जातन के संख्या जादा हवै ऊंहा जादा वारे जातीय समूह अर खेती करैयन के बीच से सदस्य बनाये जाही।

(3) गांव सभा सा राज्य के जुम्मे दार अधिकारिन ले जरूरी सहायता दये जाही।

5. उपखंड स्तर के सुमिति–राज्य सिरकार तरी लिखे सदस्य संग मा, मिलके उपखण्ड स्तर के सुमिति बनाही अवफेर।

(क) उप खण्ड अधिकारी या ओखर बरोबरी के अधिकारी अध्यक्ष।

(ख) उप खण्ड के जुम्मेदार डोगरन के अधिकारी या ओखर बरोबरी के अधिकारी–सदस्य

(ग) बलाक या तहसील के तीन ठे सदस्य जिन ला पंचायत से नांव पठोय हरा होही जेमा कम से कम दुई झन अदवासी होही, जोन डोगरन मा रह वैया हो ही या अदवासी समूहन के हो ही, जहां अदवासी न होही ता ऐसना स्थिति मा दूसर पुरखौती से डोगरा निवासी अर एकठे लरकियाा सदस्य हो ही, या सविधान के छठी अनुसूची भीत्तर आवनहा क्षेत्रन के सदस्य स्वाशासी जिला पिरषद या फेर राज परिषद, या दूसर उचित जोनल स्तर के परिषद मा नांव चुने जाही जेमा एक झे लरकिया हो ही, अर

(घ) अदवासी कल्याण विभाग के उप खण्ड के जुम्मेदार अधिकारी अखर अधिकारी न मिलही ता, ऊंहा अदवासिन के हित मा काम करैया अधिकारी

6. उप खण्ड स्तर के सुमिति के काम – उप खण्ड स्तर के सुमिति

(क) हर ग्राम सभन ला नाजुक पेड़ पौधन सा ला जीव जन्तु के बारे मा उनला रखाये जाये के जरूरत हवै, डोगरासू जीव अर ऊंहां रहवैया, दूरस जानवरस के देखैया–सुनैया के काम अर जंगली अधिकारन के काम अर दूसर के बूतन ला बताहीं।

(ख) गांव सभा के अर वन अधिकार सुमिति ला वन अर राजस्व के नक्शा अर मतदाता सूची दैय जाही।

(ग) गांव सभन ले जुड़े सपफा करे जाये वारे कामन ला मिलाही।

(घ) गांव सभा ले मिलवाये गये हरा नक्शान अर ब्यौरा मिलवाही।

(ड.) दावन के सच्चाईन ला तय करे के नीता ग्राम सभा के विचारन ला अर नक्शन के जांच करही।

(च) कहूं के वन अधिकारन के प्रकृतिन अर मेड़ोन के बारे मा ग्राम सभन के माझे मा विवादन के सुनवाई करही अर ओखर फैसला करही।

(छ) गांव सभा ले दुखीन मनसे ओखर भीत्तर राज्य अभिकरण धलो अथै, दर खासन के सुनवाई करही।

(ज) भीतर उप खण्ड दावन के लाने उप खण्ड स्तर सुमिति के संग मा मिले जुरे करही।

(झ) सिरकारी काग जातन मा मिलान करके पाछू चुनेहा वन अधिकारन ला बलाक या तहसील वार प्रारूप काग–जात तैयार करही।

(ञ) चुनेहरा वन धिकारन के प्रारूप कागजातन के संग दावान ला उप खण्ड अधिकारी के

माध्यम से जिला स्तर के सुमिति ला आखरी फैसला लैय ला पठोही।

(ट) डोगरा मा रहवैया के अधिनियम के भीतर अर नियमन मा लिखा हरा उद्देश्यन पूरो करे के नीता मनसेन मा चेतावनी लाही।

(ठ) दावेदरान ला दावन के इन नियमन के उप बंध। (प्रारूप क अर ख) मा जैसना लिखे हरा प्रोफार्मान ला असानी ले अर बिना कीमत के मिलवाही।

(5) या तय करे जाही कि गांव सभा के बैठुकनमा चाहे गये हरा गण पूर्ति के संग मा फोकट,

खुली अर निपक्ष तरीका मा करे जाथै।

7. जिला स्तर के सुमिति–राज्य सिरकार तरी लिखे सदस्यन के संग मा जिला स्तर के सुमिति गठन करही अवफेर।

(क) जिला कलेक्टर या उपायुक्त अध्यक्ष

(ख) संबंध खण्ड वन अधिकारी या उप वन संरक्षक सदस्य।

(ग) जिला स्तर के पंचायत के तीन ठन सदस्य जिनला जिला पंचायत नांव पठोय जाही, जेमा कम से कम दुई अदवासी के हो ही, जोन ऐसना सदस्य हो ही तोन डोगरा के रहैया हो ही या फेर अदवासी समूहन के हो ही अर ऊंहा कनो अदवासी नहीं आय

तहां ऐसना दुई सदस्य जोन मानता वारे दूसर पुरखौती डोगरा रहैया हवै अर एक झे लरकिया सदस्य हो ही। या सविधान के छठी अनुसूची के भीतर मा अवैया क्षेत्रन के तीन झन सदस्य स्वशासी जिला परिषद या प्रोदशिक या समुचित जोनल स्तर के परिषद ले नांव आदेशन करे जाही जेमा कम से कम एक झन लरकिया सदस्य हो ही, अर फेर।

(घ) अदवासी कल्याण विभाग के जिलन के जुम्मेदार अधिकारी या फेर जहां ऐसना अधिकारी न होय ऊंहा अदवासी बूता के जुम्मेदार अधिकारी।

8. जिला स्तर के सुमिति के काम–जिला स्तर के सुमिति

(क) या तय करही कि नियम 6 के खण्ड (ख) के भीतर चाहे हरा जानकारी गांव सभा या डोगरन के अधिकार सुमिति ला मिला दये गइसे।

(ख) ऐखर जांच करही कि सपफा दावन, जादातर अदवासीन के गोरून के चरवाह अर घुमैया अदवासीन के सपफा दावन के अधिनियम के उद्देश्यन ला सुरता मा धर के काम कर दये गइसे।

(ग) उप खण्ड स्तर के सुमिति ले बनाये गये हरा बन अधिकारिन के दावन अर लिखे हरा काग जातन मा विचार करही अर ओला आखरी रूप ले अनुमोदन करही।

(घ) उप खण्ड स्तर के सुमिति के आदेशन ले दुखी मनसेन दर खासन के सुनवाई करही,

(ड.) भीतरी जिला दावन के बारेन मा दूसर जिलन के संग मा संबंध बनाही।

(च) सही–सही सिरकारी काग जातन मा जेखर भीतर मा अधिकारन के लिखे हरा काग जात धलो हवै, मा डोगरन के अधिकारन बात ला मिलाय के सूचना जारी करही।

(छ) जोन समो मा लिखे हरा कागतन ला आखरी रूप दये जाही, डोगरन के अधिकरान के काग जातन प्रकाशन ला तय करही अव फेर

(ज) या पक्का करही कि नियम के भीतर अर इनखे नियमन के उपा बंध दुई अर तीन मा लिखे गये हरा डोगरन के अधिकारन अर हक्क के काग जातन के पक्का प्रमाण ले जुड़े दावे दार अर संबंधित ग्राम सभाला दय दय गइसे।

9. राज्य स्तर के जांच करनहा सुमिति – राज्य सिरकार तरी लिखे हरा सदस्यन के संग राज्य स्तर के जांच सुमिति के गठन करही अवफेर

(क) मुख्य सचिव – अध्यक्ष

(ख) सचिव, राजस्व विभाग – सदस्य

(ग) सचिव, अदवासी या समाज कल्याण विभाग–सदस्य

(घ) सचिव, डोगरा विभाग

(ड.) सचिव, पंचायत राज सदस्य

(च) प्रधान वन संरक्षक – सदस्य

(छ) अदवासी सलाह कार परिषद के तीन अदवासी सदस्य जेला अदवासी सलाह कार परिषद अध्यक्ष ले नांव चुने जाही अर ऊंहे कोनो अदवासी सलाहकार परिषद नहीं आयें ऊंहा राज्य सिरकार ले नांव पठोय हरा तीन अदवासी सदस्य।

(ज) आयुक्त, अदवासी कल्याण या ओखरै बरोबरी के सदस्य सचिव हो ही।

10. राज्य स्तर के जांच सुमिति के काम – राज्य स्तर के जांच सुमिति –

(क) डोगरन क अधिकारन के मानता अर उनखर प्रक्रिया के बारे मा छः माही रिपोर्ट करही अर नोडल अभिकरण ला ऐसना लेखा लोखा अर जांच पठोही जेखर मांग नोडल अभिकरण करही।

(ख) राज्य मा डोगर अधिकारन के मानता, गवाही अर उनखर लाने काम के जांच करही।

(ग) डोगरन के अधिकारन ला ऐसना लेखा – जोखा अर जांच पठोही जेखर मांग नोडल अभिकरण करही।

(घ) अधिनियम के धारा 8 मा जैसना लिखे हवै, सूचना के मिले मा नियम के भीत्तर जुड़े प्राधिकरण के विरूध पक्का–पक्का कार्यवाही करही।

(ड.) अधिनियम के धारा चार के उप धारा (दो) के भीतर दुई वारा बनाये गये हरा काम के जांच करही।

11. ग्राम सभा मा दावा फाइल, उनखर विचार अर गवाही के तरीका

(1) ग्राम सभा

(क) दावान के नीता मांग करही अर हिन नियमन के उपा बंध। मा लिखे हरा प्ररूप मा दावन माने के लाने डोगरा के अधिकार सुमिति ला अधिकार दये सकही अर ऐसना दावा, दावन के ऐसना मांगन के तारीक ले तीन महना के भीतर मा नियम 13 मा लिखे हरा कम से कम दुई गवाहन के संग मा करे जाही।

अखर ग्राम सभा यदि जरूरी समझ थै ता तीन महना के दैय हरा अवधि मा ओखर कारण लिखे के पाछू ओला बताय सकथैं।

(ख) अपन अकट्ठा डोगरन के संसाधन के मुतालबे काम सुरू करे के लाने कन्नो तारीक तय करही अर जहां जादै ग्राम सभा हो ही फैले रूप मा ऊंहा ग्राम सभा ला अर उप खण्ड स्तर के सुमितिन ला सूचित करही,

2. डोगरन के अधिकार सुमिति ग्राम सभा ला, ओखर तरी लिखे हरा मा सहायता करही,

(1) तय करे हरा प्ररूप मा, दावा अर ऐसना दावन के बातन के समर्थन मा गवाही पायेला हो ही, अर उनला मंजूरी देही अव उनला राखही।

(2) दावन वारे अर गवाही ला, नक्शा न ले काग जातन ला तियार करही।

(3) डोगरन के अधिकारन मा उप बंधित करे गये हरा दावन ला पक्का करही।

(4) हिन नियमन मा उपबंधित करे गये हरा दावन ला पक्का करही।

(5) दावन के मेर मा, फैलान के लाने अपन मत ला गांव के आगू मा ओखर धोखै के रखही।

3. मिले हरा सपफा दावन ला, डोगरा के सुमिति मा लिखे हरा सही रूप मा माने जाही,

4. डोगरासु सुमिति, हिन नियमन के उपबंध 1 मा लिखे उप बंधित प्ररूप ख मा अकट्ठा डोगरासु अधिकार के लाने, ग्राम सभा तरफ ले दावा अर तियार करही।

5. ग्राम सभा, उपनियम (2) के खण्ड ( ) के भीतर सार चीजन के मिले मा, डोगरन के सुमितिन के सार मा बिचार करन के लाने आगू के सूचना मा बैठुक करही, सही बिचार ला रख ही अर ओला उप खण्ड स्तर सुमिति मा पठोही।

6. ग्राम पंचायत के सचिव, अपन कामन ला पूरो करें के साथ मा सचिव के कामला अर करही।

12. डोगरन के अधिकार सुमिति मा दावन के गवाहीन के प्रक्रिया :

(1) डोगरन के अधिकारन के सुमिति दावा करैया अर डोगर विभाग ला समय मा सूचना दै के पाछू ।

(क) व जघा मा जाही अर ऊंहा जायके सही चीजन के बात ला खुदै जान के गवाही लै के, अपन खुदै समझ ही।

(ख) दावा करैया अर गवाही न ले औ कन्नो परवाना या फेर काग जात ले ही।

(ग) या बात ला तय करही कि निस्तारू औ घुमनतू अद वासिन के हुन दावान ला, जोन ओखर, खुदै के अपन सदस्यन अकट्ठा या पुरखौती बनाये संस्था ले मिले हवै, उन अधिकारन ला , ऐसना समो मा सही–सही माने जाथै।

जब ऐसना हरा मनसे या समूह या फेर उनखर सदस्य रह थै।

(घ) या बात ला तय करही कि पुरान अदवासी समूह या फेर आगू के खेती करैया मनसे दावा ला, जोन उनखर समूहन या फेर पुरखौती संस्था के नीता मिले हवै, रहै बसै

अर उनखर अधिकारन के लाने व समो मा पक्का करे जाथै, जोन समो मा उनखर समूह या फेर उनखर मुखिया ऊंहा रहै अर।

(ड.) मानता दैय जावै के लाने मेड़ोन के चीनहा ला बतावै के नक्शा समो मा, सपफा दावा के जघा ला, लिख के नक्शा ला बनाही।

2. ऐखर पाछू डोगरासु अधिकार, सुमिति दावन के बारे मा अपन समझे हरा के बातन ला लिखही अर उनला ग्राम सभा मा, ओला धोखे के लाने रखही।

3.या तो दूसर गांवन के पुरखौती सीमा के बारे मा, विरोधी दावा करथै या फेर कन्नो डोगरा जाघान के निस्तार के नीता एक से जादा ग्राम सभान के करे जाथै ऐसना मेर के लाने अकट्ठा होयके ग्राम सभान मा बैठुक करही अर संबधित ग्राम सभान लिखके सूचना देही।

अखर एक बात हवै कि यातो ग्राम सभा के स्तर मा विरोधी दावा ला सही ढंग ले ना बताय पाही, ऐसना स्थिति मा उप खण्ड स्तर के सुमिति ला, ओखर समाधान करें के नीता लिखे जाही।

4.सूचना काग जात लिखा हरा अर पुरान रिकाडन के लाने ला ग्राम सभा या फेर डोगरन के सुमिति के अनुरोधन मा, संबंधित अधिकारी आगू के स्थिति मा, ग्राम सभा या डोगरान सुमिति ला ओखर प्रमाणित प्रति दैय जाही, औ या फेर जरूरी हवै, कन्नों जुम्मेवार अधिकारी के माध्यम ले अपन सफाई बता ही।

13. डोंगरन के अधिकारन के लाने गवाह, डोगरन के अधिकारन ला मानता दै अर ओला करै के गवाही मा, दूसर बातन के संगमा तरी लिखे हरा अर सामिल होही।

(क) ऐतिहासिक साक्ष्य, जनगणना, सर्वेक्षण अर बन्दो वस्त रिपोर्ट, नक्शा, उपग्रही चित्र, कार्य योजनान, प्रबंध योजनान, लघु योजनन, वन जांच रिपोर्ट, दूसर जंगलान, कागजात, अधिकारन के काग–जात, पट्टा, ठेका चाहे कन्नों नांव होय, सिरकार ले, गठित सुमितन अर आयोगन के रिपोर्टन, विरान, सिरकारी आदेश, अधिसूचनान, परिपत्र संकल्प जेसना लोक दस्तावेज, सिरकारी कागजात।

(ख) मतदाता, पहचान पत्र, राशन कार्ड, फोटो चित्र, मकान टेक्स, मूल निवासी प्रमाण पत्र, ऐसना सिरकारी माने हरा पुरान रिकार्ड।

(ग) घर, झोपड़ी, अर जघान मा करे हरे सुधार जैसना कि सही काम जेखर भीतर समतल करनहां, बंधान, चैक बांध बनाना, अर ऐसने दूसर काम हवै।

(घ) जेखर फैसला अधूरा हवै अर पूरो फैसला भये हरा काग जात, जेखर भीतर न्यायालय आदेश अर फैसला धलो हवै।

(ड.) हुन जादा ले जादा पुरान अर पुरखौती छान बीन पुरान काग जात, डोगर के संबंधी काग जात, जोन परुखौतिन के निस्तार ला बतौंवे अर जिनन मा भारत के मनसेन के विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण जैसना प्रसिद्ध संस्थान ले खास जानकारी मिल थें।

(च) पुरखौती जमाना के राजान के रहन हा महल या फेर प्रांतन या दूसर मध्यवर्ती शासन करैया न ले मिले हरा कन्नो काग जात, जेखर भीतर मा नक्शा, अधिकारन के काग जात, जादा अधिकार पाये हरा, छूट या समर्थन घलो हवै।

(छ) कुंआ, काठी माठी दवनहा ठाहर, ऐसना जघा जेखर मानता पुरखान ले चले आइस हवै।

(ज) आगू के ठाहर जघा के खर नांव मा रहे रहै, लिखे हरा अर पुरखौती जमाना मा कोन मनसे, कोन गांव के आय, ऐसना पता ठिकाना बतवैयान के पुरखान के वंशन के जानकारी।

(झ) काग जातन मा लिखे अर दावा करैया ले अलगे, सियायन के ब्यान।

2.समूहन मा, डोंगरन के गवाही या, दूसर बातन के संग अर तरी मा लिखे हरा हो ही।

(क) गांव घरन के बवरै के नीता, अधिकार, ओला भले कन्नों नांव ले जाने जाथै।

(ख) पुरखौती जमाना ले, गोरुन ला चरावै के, जर औव कांदा, घास, डोगरन के खवनहा फरूहा अर दूसर नान मून डोगरा पैदावार, अकट्ठा करनहा ठाहर, मछरी पकरनहा ठाहर, खेतन ला सींचन के तरीका, मनसे अर ढोरन के लाने पानी मिलै के पानवासू ठाहर, जड़ी–बूटी न ला जोरना, दवाईन के पौधान ला जोरना, अर धंधा करनहा ठाहर।

(ग) देहात गांवन मा मिल जुर के बनाये हरा बचेकुचे भाग देवथानी पेड़ पौधा, कंदरा खोह अर तलवा नदियान के ठाहर, मुरदा लेसै के जाघा।

3.ग्राम सभा उपखण्ड स्तर के सुमिति अर जिला सुमिति डोगरन के अधिकार के बारे मा विचार करनहा उपपर लिखे एक अधिक गवाहीन मा विचार करही।

14. उपखण्ड स्तर सुमिति दावन

(1) ग्राम सभान ले दुखिया कन्नो मनसे, तय भय हरा तरीक ले साठ रोज के भीतर मा उपखण्ड स्तर सुमिति ला, अपन दावा दै सकथै।

(2) उपखण्ड स्तर सुमिति ओखर बारे मा सुनवाई करेला, तारीक तय करही अर दावा करैया अर ग्राम सभा ला लिख के सूचना दै के पाछू मा सुनवाई के लाने तारीक तय करे के कम से कम पन्दरा रोज के आगू दावा करैयन के ग्राम मा कन्नों सुविधा वारे जघा मा सूचना लगाये के घलो बताही।

(3) उपखण्ड स्तर सुमिति या तो ओला मंजूर या न मंजूर करही या ओखर संबंधित ग्राम सभा ला, ओमा विचार करे के लाने कहही।

(4) ऐसना सुझाव पाये के बाद, ग्राम सभा तीस रोज के भीतर मा बैठुक लेही, दावा करैयन ला सुनही, फेर ओखर संबंध मा कनो विचार तय करही अर उपखण्ड स्तर सुमिति ला पठोय देही।

(5) उपखण्ड स्तर सुमिति ग्राम सभा के विचार के लिखे हरा बात मा घोख करही अर दावा करैयन ला या तो मंजूर करही या न मंजूर करके जोन कछु होय ओला आदेश करही।

(6) रूके हरा दावन मा ओखर विरूध असर डारे बिना, उपखण्ड स्तर सुमिति, दूसर दावे दारन के डोगरन के अधिकारन के कागजातन ला, जांच करही उनला अकट्ठा करही औ उप खण्ड अधिकारी के माध्यम ले उनला जिला स्तर सुमिति ला पठोय देही।

(7) दुई या दुई ले जादा ग्राम सभान के बीच विवाद के हालत मा, ग्राम सभा मा दैये गये हरा आवेदन मा या उपखण्ड स्तर सुमिति ले खुद के विचार ले झगरा ला निपटाय के नीता संबंधित ग्राम सभन ला इकट्ठा बैठक बलाही, अर तीस रोज मा कन्नों आपसी सहती ले समाधान होय के नीता नहीं दिखै ता उपखण्ड स्तर सुमिति संबंधित ग्राम सभान के सुनवाई के पाछूमा विचार करही अर जोन आदेश होही ओला दै देही।

15. जिला स्तर के सुमिति मा याचिकन :–

(1) उपखण्ड स्तर सुमिति के फैसला ले दुखिया मनसे, उपखण्ड स्तर सुमिति के फैसला ले तारीख ले साठा रोज के भीतर मा जिला स्तर सुमिति ला अपन याचिकन के काग जात दै सकथै।

(2) जिला स्तर सुमिति सुनवाई के तारीक ला तय करही, अर याची संबंधित उपखण्ड स्तर सुमिति ला ओखर लिखित मा सुचना देही, सूचना के संग मा सुनवाई के तारीक तय के कम से कम पन्द्रा रोज आगू याची के ग्राम मा कन्नों सुविधा वारे ठाहर मा सूचना लगाये के सोऊ सूचित करही।

(3) जिला स्तर सुमिति ओला मंजूर या न मंजूर करही या फेर ओला संबंधित उपखण्ड स्तर सुमिति ला ओखर घोखे के नीता समोदेही।

(4) ऐसना सुझाव पावें के पाछू उपखण्ड स्तर सुमिति तीस रोज के भीतर मा बैठुक करही, याची अर ग्राम सभाला सुनही व सुझाव ला सोचही अर ओखर सूचना ला जिला स्तर सुमिति ला देही।

(5) ऐखर पाछू मा जिला स्तर सुमिति याचिका मा विचार बनाही, अर याचिका ला या फिर स्वीकार या अस्वीकर करके जोन ओला समझ मा आही ता सुझाव देही।

(6) जिला स्तर सुमिति दावेदार या दावेदारन के डोगरासुन के काग जातन ला सिरकार के काग जातन मा संशोधन करै के लाने जिला कलेक्टर या जिला आयुक्त ला पठोही।

(7) दुई या दुई ले जादा उपखण्ड स्तर सुमिति के आदेशन के पाछू मा कन्नों फरक के हालतन मा जिला स्तर सुमिति अपनन विचार ले मतभेदन ला मिटावै के नीता संबंधित उपखण्ड स्तर सुमिति के अकट्ठा बैठुक बलाही अर या फेर कन्नों आपसी संबधी नही दिखै ता जिला स्तर सुमिति संबंधित उपखण्ड स्तर सुमितिन के सुनवाई के पाछू विवाद मा अपन मनके फैसला देही अर जोन ओला समझ मा आही ता आदेश पारित करही।

अदवासी अर दूसर पुरखान के बेरा ले डोगरा के रहैया (डोगर कब्जा के मानता वारे) नियम 2007

भारत सिरकार अदवासी बूता मंत्रालय

नियम 1

(नियम छैय (झ) देखले)

पत्रक–क

बन जाघन के कब्जान के लाने दावा पत्रक

(नियम गेयारा (एकठे (क)दखेले))

1. दावेदारन के नांव
2. डवका/डवकी के नांव
3. दादा/दाई के नांव
4. ठांऊर
5. गांव
6. ग्राम पंचायत
7. तहसील/तालुका
8. जिला

9 (क) अदवासी : हॉ/नहीं

(परवाना पत्तर लगाये दे)

(ख) दूसर पुरखान के बेरा ले डोगरा के रहैया : हॉ/नहीं

10. बिंदार के दूसर सदस्य के नांव अर उमर

(लरकन व जेखर उमर अठारा बरस के ऊपर आसरा वारे)

जाघन मा दावन के रंग ढंग

एकठे : तार जुगुत के नीता जाघन ला बवरना

(क) रहनहा ठाहर।

(ख) आपन खेती किसानी के लाने, अखर कनो होही ता।

दुईठे : लाराई झगरा के जाघा अखर कनो होही ता।

(अधकानून के धारा (तीनठे) (एकठे) (क) देखले)

तीनठे : पट्टा/पट्टा/दानपत्र, अखर कनो होही ता।

(अधकानूनन के धारा (तीनठे) (एकठे) (छ) देखले)

चारठे : जहां के तहां रहाई–बसाई के जाघन के लाने या फेर मन परे हरा जाघा अखर कनो होही ता।

(अधकानूनन के धारा (तीनठे) (एकठे) (ड) देखले)।

पाचठे : जाघा ऊंहा के बिना डांड़ दैय हरा काबिज करे होही।

(अधकानूनन के धारा चारठे (आठठे) देखले)।

छयठे : बन गांवन मा जाघन के बगराव, अखर कनो होही ता।

(अधकानूनन के धारा तीनठे (एकठे) (ज) देखले)

सातठे : दूसरे कन्नो पुराने जमाना के कब्जा, अखर कनो होही ता।

(अधकानूनन के धारा तीनठे (एकठे) (झ) देखले)।

आठठे : सलाही बात के कन्नों गवाही।

(नियम तेरा देखले)।

नवठे : अव कनो रेरी :

दावेदारन के दसकत/अंगठा के चीनहा

अदवासी अर दूसर पुरखान के बेरा ले डोगरा के रहैया (डोगर कब्जा के मानता वारे) नियम 2007

भारत सिरकार अदवासी बूता मंत्रालय

नियम 1

(नियम छैय (झ) देखले)

पत्रक–क

बन जाघन के कब्जान के लाने दावा पत्रक

(नियम गेयारा (एकठे (क) अर (चारठे) दखेले))

1. दावेदारन के नांव
   क. एफ.डी.एस.टी. समूह : हां/नहीं
   ख. ओ.टी.एफ.डी. समूह : हां/नहीं
2. गांव
3. ग्राम पंचायत
4. तहसील/तालुका
5. जिला

गुजर मा लाने हरा सपफा झनन के कब्जान के रंग ढंग :

एकठे : सपफा झनन के कब्जा अवफेर गुजर बसर, अखर कनो होही ता

(अधकानूनन के धारा तीनठे (एकठे) (ख) देखले)

दुईठे : बिजहा बन उपजन मा कब्जा, अखर कनो होही ता

(अधकानूनन के धारा तीनठे (एकठे) (ग) देखले)

तीनठे : सपफा झनन के कब्जा

क. बवरना अव काबिल (मछरी, तलवा पानी वारे)
   अखर कनो होही ता

ख. चरवाई के लाने अखर कनो होही ता

ग. पुरान जमाना के संसाधन ले बरदी हाकैया अर गोरू रखैयन के पहुंच अखर कनो होही ता

(अधकानूनन के धारा तीनठे (एकठे) (छ) देखले)

चारठे : पी.टी.जी. या सुरूले खेती करैयान के झुंडन के लाने जुनहा बसीगत अर नवा बसीगतन के सपफा झनन के बेरा ले अखर कनो होही ता

(अधकानूनन के धारा तीनठे (एकठे) (ड) देखले)

पाचठे : अने मने नान मून जीव अक्किल से जरमाये हरा धन अर पुरखौती अक्किल पहुचै के कब्जा अखर कनो होही ता

(अधकानूनन के धारा तीनठे (एकठे) (ट) देखले)

छयठे : दूसर पुरान जमाना के कब्जा अखर कनो होही ता
(अधकानूनन के धारा तीनठे (एकठे) (ठ) देखले)

सातठे : हांही भरैया के रंग ढंग :
(नियम तेरा देखले)

आठठे : अऊ कनो रेरी

दावेदारन के दसकत/अंगठा के चीनहा

अदवासी अर दूसर पुरखान के बेरा ले डोगरा के रहैया (डोगर कब्जा के मानता वारे) नियम 2007

भारत सिरकार अदवासी बूता मंत्रालय

नियम 2

(नियम आठ (ज) देखले)

तार जुगतन के आसरा डोगर जाघा के लाने हक

1. डोगर कब्जान के ग्राहकन के नांव (डवका/डवकी ले)
2. दावा/दाई के नांव
3. आसरा वारेन के नांव
4. ठांऊर
5. गांव
6. गांव पंचायत
7. तहसील/तालुका
8. जिला
9 अदवासी/दूसर पुरखान के बेरा ले डोगर के रहैया
10. सपफा नाप जोख :

11. खसरा/कंपार्टमेंट संख्या ठिक धरा चीनहन ले मुनारान रंग ढंग

12. या हक दैय हरा हवै अखर कानूनन के धारा चार उप धारा (चार) मा ऐखा बेंचा भांजी अव या फेर अदला बदली नहीं हय सकै :

हमार अपन हाथ ले दसकत अंगूठा लगाय के .....

(राज के नांव) सिरकार के लाने अर ओखरय डाहर ले सपफा डोंगरा कब्जन के उप्पर लिखे हरा डोगर कब्जा के मजबूती करन के लाने दसकत करथन।

मंडलीय वन अधिकारी **जिला जनजातीय**

उपवन संरक्षक **कल्याण अधिकारी**

जिला कलेक्टर/उप आयुक्त

अदवासी अर दूसर पुरखान के बेरा ले डोगरा के रहैया (डोगर कब्जा के मानता वारे) नियम 2007

भारत सिरकार अदवासी बूता मंत्रालय

नियम 3

(नियम आठ (छैय ज) देखले)

सपफा झनन के वन कब्जान के लाने हक

1. सपफा झनन के वन कब्जान ग्राहकन के नांव (नियम के अनुसार)
2. गांव/गांव बैठुक
3. गांव पंचायत
4. तहसील/तालुका
5. जिला
6. अदवासी/दूसर पुरखान के बेरा ले डोंगरा के रहैया
7. सपफा झनन के कब्जान के बांटा
8. सरत अखर कछू होय ता
9 जइसना लिखे हरा संग के मेड़ोन के रंग ढंग :

पुरान जामाना के मेड़ों अर/खसरा/कंपार्टमेंट संख्या ठिकधरा चीना बाना सपफा झनन के बन कब्जान ग्राहकन के नांव

1. .....
2. .....
3. .....

हमार, अपन हाथले दसकत अगूठा लगाय के.....

(राज के नांव) सिरकार के लाने अर ओखरय डाहर ले सपफा झनन ले सपफा झनन के डोंगर कब्जन के उप्पर लिखे हरा ग्राहकन के हक मा सही लिखे हरा डोंगर कब्जा मजबूती करन के लाने दसकत करथन।

मंडलीय वन अधिकारी
उपवन संरक्षक

जिला जनजातीय
कल्याण अधिकारी

जिला कलेक्टर/उप आयुक्त